

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वाद पत्र वादीगण बाबत विनिमय स्वीकार कर इस कदर डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम महरमपुर, पटवार हल्का सोलाना, तहसील चिड़ावा के भूमि खसरा नं० 680/366 रकबा 0.9700 हैक्टर में प्रतिवादी नं० 1 का नाम हजफ कर वादीगण नं० 1 व 2 को समान रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व भूमि खसरा नं० 682/367 रकबा 0.9700 हैक्टर में वादीगण 1 ता 2 का नाम हजफ कर प्रतिवादी सं० 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार तहसीलदार चिड़ावा को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु ओदशित किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दम्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
चिड़ावा
उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)